

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-14-09/2021 - 1428

/पटना, दिनांक-28/5/21

प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह, वि0प्र0से0
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

Sl. no.	Division	Block	Name of Scheme	Length (In km)	Permanent Restoration Length (In km)	Permanent Restoration Cost. (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
1	Madhepura	Murliganj	Dinapatti Nadhi Murho Madhuban Road	11.465	1.033	49.24
2	Madhepura	Singheshwar	Singheshwar Biraili Belari Road	6.300	0.200	8.837
3	Madhepura	Shankarpur	Sonbarsa to Shankarpur	6.370	0.750	36.131
4	Madhepura	Madhepura	Madhepura NH -106 to Ranta Bridge via Belari Ranipatti road	21.290	0.564	28.902
5	Madhepura	Kumarkhand	Parmanandpur to Khutarjai	8.600	0.183	10.28
6	Madhepura	Murliganj	Raghunathpur Ward no 6 Kameshwar Yadav (Belahi Nayanagar) Ke Ghar to Kailash Yadav Ke Ghar tak	0.750	0.427	16.025
7	Madhepura	Shankarpur	Shankarpur to Bathan Parsa	5.100	0.120	5.902

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Sl. no.	Division	Block	Name of Scheme	Length (In km)	Permanent Restoration Length (In km)	Permanent Restoration Cost. (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
8	Madhepura	Singheshwar	Singheshwar to Larha	3.200	0.185	8.574
9	Madhepura	Kumarkhand	Tikuliya Hat to Laxmipur Bhagwati world Bank Road	10.000	0.487	25.077
10	Udakishunganj	Puraini	Akhera chouk Puraini to khero	5.000	3.340	62.122
11	Udakishunganj	Alamnagar	L026 Raisthan To Pandahi Via Khurhanmal	3.897	2.287	43.035
12	Udakishunganj	Chausa	Dhaneshpur to Morsanda	4.05	2.400	44.955
13	Udakishunganj	Chausa	Dhaneshpur To Ganaul via Dhorai Basa	2.765	1.600	29.081
14	Udakishunganj	Puraini	T03 to Fulpur	3.000	2.200	41.263
15	Udakishunganj	Puraini	T04 TO KHERO EAST	1.900	1.150	21.138
16	Udakishunganj	Udakishunganj	Khara Brahmtole Gramin Bank Chouk to Mangla Haat via Raghunathpur	2.355	1.8	32.772
17	Supaul	Nirmali	Koshi Bandh To Kanauli via Jagmohan Tola	1.020	0.422	28.391
18	Supaul	Marauna	PWD Road Chharapatti to Parikoch Mahadalit Tola	2.725	0.435	24.337
19	Supaul	Marauna	PWD Road Ganaura to Muslim tola	2.600	0.111	9.665
20	Supaul	Nirmali	L025 T01 to Mandal tola (Track 10)	3.251	0.227	15.58
21	Supaul	Nirmali	Nirmali to Hariyahi Via Jarauli	6.400	0.291	35.129
22	Supaul	Nirmali	Koshi Bandh to Kanauli	1.450	0.400	38.443
23	Supaul	Supaul	Parsauni to Bijalpur	2.1	0.5	31.544

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता, योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
3. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
4. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
6. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
7. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

विश्वासभाजन

13/05/21

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

Sw